प्रेस विज्ञप्ति

17.01.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने काजी अब्दुल वदूद, रजी हैदर और उनके सहयोगियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एटीएस, गुजरात द्वारा 1039.72 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की 200 किलोग्राम हेरोइन जब्त करने से संबंधित चल रही जांच में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), अहमदाबाद के समक्ष 16.01.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 16.01.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने रजी हैदर जैदी और अन्य के खिलाफ एटीएस, गुजरात द्वारा अहमद अली पुत्र नूर मोहम्मद और अन्य के खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी में कथित संलिप्तता के लिए दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके अलावा, एटीएस, गुजरात ने उक्त एफआईआर में रजी हैदर जैदी और अन्य को मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने के लिए आरोपी बनाते हुए 02 आरोपपत्र दायर किए।

ईडी की जांच से पता चला है कि रजी हैदर जैदी और काजी अब्दुल वदूद वर्ष 2020 से मादक पदार्थों की तस्करी में सक्रिय रूप से शामिल थे। ईडी की जांच में आगे पता चला है कि उक्त मादक पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न अपराध की आय को रजी हैदर जैदी द्वारा बैंकिंग चैनलों के साथ-साथ हवाला चैनलों के माध्यम से दुबई में रहने वाले काजी अब्दुल वदूद तक पहुंचाया गया था।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।